an>

Title: Election of twenty members from Lok Sabha and ten members from Rajya Sabha to Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

DR. (PROF.) KIRIT PREMJIBHAI SOLANKI (AHMEDABAD WEST): Hon. Speaker, Sir, I beg to move the following:

"That the members of this House do proceed to elect in the manner required by sub-rule (1) of rule 331B of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, twenty members from amongst themselves to serve as members of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the term beginning on the 1st May, 2020 and ending on the 30th April, 2021." (Interruptions)

माननीय अध्यक्षः प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 331ख के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 2020 से शुरू होने वाली और 30 अप्रैल, 2021 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से बीस सदस्य निर्वाचित करें।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।</u>

DR. (PROF.) KIRIT PREMJIBHAI SOLANKI: I beg to move:

"That this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do agree to nominate ten Members from Rajya Sabha to associate with the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes of the House for the term beginning on the 1st May, 2020 and ending on the 30th April, 2021 and do communicate to this House the names of the Members so nominated by Rajya Sabha." ...(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

''कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 2020 से शुरू होने वाली और 30 अप्रैल, 2021 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा के दस सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।</u>